

प्रिंसिपल वाला शिक्षा अधिकारी  
जौनपुर ।

संदर्भ,

प्रबन्धक,  
एसोजेन्ट परिवक स्कूल,  
मधुपुर सुजानगंज, जौनपुर

पत्रांक/मान्यता/ ८०७८

/2017-18 दिनांक ३० | १२.१२.१७

विवर: मि. शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये मि. शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 को नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन अंधेरी मान्यता विद्यालय के लिए मान्यता प्रदान पत्र-

महादेव,

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आल्या/संस्कृति तथा नगड़लीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक) परम प्रधान वाराणसी के अनुमोदनप्राप्त उम्मीद शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग-6 आदेश संख्या -419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 30.11.2007 के अनुक्रम में आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्तरी पत्राचार/नियम के प्रतिलिपेश प्रसोजेन्ट परिवक स्कूल, मधुपुर सुजानगंज, जौनपुर को 30.12.2017 से 29.12.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्ष 08 तक ते लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की सुझाव देता है।

उपरोक्त मर्जुरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्ययीन हैं -

- 1- मान्यता की मर्जुरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्ष 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यकारी विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपांक 1) और निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपांक 2) के उपांकों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्ष 01 में (या यथा विस्तृत, नर्सरी कक्ष में) उस कक्ष में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमज़ोर बांगों और सुविधा विहीन बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूर्त हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपांक(2) उपांकों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए एक पृथक बैंक खाता छह्या।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी वैष्टिक शुल्क का संपर्क नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी रूपान्वित प्रक्रिया के अध्यादीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सम्मुख न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपांकों को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित चारेगा।
  - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसके साथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्ष में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय में निर्कासित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीर्ण के अध्यादीन नहीं किया जायेगा।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निश्वकशता ग्रस्त/दिशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - अध्यापकों की भर्ती की अधिनियम की धारा 23 (1) अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहंताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताये अर्जित करेंगे।
  - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने वर्तमानों का पालन करता है।
  - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन-क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय सम्मिलित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अधिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है -

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल ।

कुल निवित क्षेत्रफल ।

क्रीड़ा स्पृश का क्षेत्रफल ।

कक्षाओं की संख्या ।

प्राध्यापक-सह कार्यालय, सह भड़ायगार के लिए कक्ष ।

बालकों और बालिकाओं के पृथक गौमालय ।

पैद जल सुविधा ।

सोड-ह-सोल पकाने के लिए रसोइ ।

बाल रहेत पहुँच ।

अध्यापक उठन सामग्री/छोड़ा खेलकूद उपस्करी/पुस्तकालय की उपलब्धता ।

MANAGER  
S.J.N. Public School  
Madhupur, Jaunpur

Principal  
S.J.N. Public School  
Madhupur, Jaunpur

- १०- विद्यालय के प्रबन्धकों द्वारा या उनके अधीकरण विकास की भवंति कोई नहीं प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- ११- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं पर कोई अधिकार प्रदान किया और विद्यालय विकास योजनाओं के लिए किया जाता है।
- १२- विद्यालय को शोभादृष्टि विजितकरण 1860 (1860 को 21) के अधीन अविद्युत विद्युतीयों द्वारा या संसाधन प्रदाता किसी विद्युत विद्युतीयों के समूह की समय या किसी अन्य विद्युतीयों के समय के लिए नहीं घटता जा सकता है।
- १३- विद्यालय के लेखांशों को किसी घटाई प्रकार द्वारा संपर्क की जानी चाहिए। और उसके द्वारा प्रभावित किया जाना चाहिए तथा उक्त लेखा विवरण विषयों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्त जितना विविक विकास अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- १४- आप को विद्यालय की आवश्यकता कोड संख्याक  $\times$  है। कृपया इसे गोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी प्रशासन के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- १५- विद्यालय एसो शिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक/नियन्त्रक विकास अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और सम्बन्धित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी से लिए अनुदेशों का ग्रहण करता है जो गान्धी आनंदी गांधी के गत अनुगालन सुनिश्चित करते या विद्यालय के कार्य करने की क्षमियों को गृह करने के लिए जारी किया जायेगा।
- १६- शोभादृष्टि के विजेन्टीकरण के नवीनकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।
- १७- रस्ते उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई गांधी।
- १८- मान्यता दाता करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया /अनिश्चित विकास भी रस्ते पर कृत रखिए अतः प्राप्त दिवित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रदत्यावरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- १९- विद्यालय संचालन में आने वाला यथा विद्यालय प्रबन्ध उत्तर द्वारा अपने निर्णी गांधी से बहस किया जायेगा।

नवीन

(राजेन्द्र सिंह)  
नियन्त्रक विकास अधिकारी  
जीतमुर

पूर्णो/मान्यता / 8098

/2017-18 दिनांक-उक्तवार्ता ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित गो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- १- संघिय उपर्युक्त विकास विविक विकास एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- २- मण्डलीय सहायक विकास विविक (बोरोज) प्रधान मण्डल वाराणसी।
- ३- एवड विकास अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड /गांग थोड़ को इस निदेश के साथ प्रेषित हो आप विद्यालय को यह निरोक्षण कर ले और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन नेशनल विलिंग कोड के मानकों के अनुसार निर्मित है। और सभी प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल विलिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र यह निर्माण की पूर्ति कर से, विद्यालय में स्थापित अनिश्चयन यज्ञ कियाजील तथा शासनादेश दिनांक 8.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है। अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अंदर अयोहस्ताकारी को अवगत करायें।
- ४- कार्यालय प्रति ।

(राजेन्द्र सिंह)  
नियन्त्रक विकास अधिकारी  
जीतमुर ।